The Karamyogi Co-Operative Group Housing Society Ltd.

GH-14, Sector-10A, Gurugram-122001 (Haryana)

Dated 21-4-26

Ref. No.

सेवा मे ,

मानीनय रजिस्ट्रार सहकारी समिति

पंचकुला , हरियाणा

विषय : भ्रस्टाचार के आरोप मे असिस्टेंट रजिस्ट्रार ऑफिस को-ओपेरटिव सोसाइटी गुरुग्राम के निलंबित सब इन्स्पेक्टर जोगिंदर एव प्रवीण को दुबारा से उसी कार्यालय मे अतिरिक्त चार्ज दे कर बहाल करने की शिकायत

श्रीमान जी ,

मैं विकास चोपड़ा कर्मयोगी सोसाइटी सेक्टर 10 ए गुरुग्राम प्रेसीडेंट हुँ । 13 दिसंबर 2024 को मेरी एक असिस्टेंट रजिस्ट्रार ऑफिस को-ओपेरटिव सोसाइटी गुरुग्राम मे भ्रस्टाचार के खिलाफ शिकायत पर एंटी करप्शन विभाग गुरुग्राम द्वारा जांच की जा रही है तथा 9 जनवरी 2025 को को-ओपेरटिव सोसाइटी गुरुग्राम के इन्स्पेक्टर संदीप , सब-इंस्पेक्टर जोगिंदर एवं प्रवीण के खिलाफ FIR दर्ज की गई है (FIR Number 0002) । इन तीनों द्वारा 30 लोगों की मेम्बर्शिप ट्रांसफर करने के नाम पर मुझ से साढे सात लाख रु रिश्वत की डिमांड की गई थी । जिसका की पूरा वीडियो एंटी करप्शन विभाग गुरुग्राम के पास उपलब्ध है ।

वर्ष 2025 के जून माह मे मेरी और तीनों आरोपियों के वॉयस सैम्पल एंटी करप्शन विभाग गुरुग्राम मुख्यालय मे लिए गए जिसकी फोरेंसिक रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है । सब-इंस्पेक्टर जोगिंदर और प्रवीण को दुबारा से बहाल करते हुए पहले गुरुग्राम सर्कल के सोहना और पटौदी कार्यालय मे तैनात किया गया तथा अब अतिरिक्त चार्ज के नाम पर इसी कार्यालय मे तैनात कर दिया गया है । जबकि भ्रष्टाचार का केस अभी भी चल रहा है। सब-इंस्पेक्टर जोगिंदर और प्रवीण द्वारा लगातार कर्मयोगी सोसाइटी से संबंधित मामलों मे दखलअंदाजी की जा रही है , कर्मयोगी सोसाइटी से संबंधित किसी भी पत्र का जवाब नहीं दिया जा रहा । कर्मयोगी सोसाइटी से संबंधित आरटीआई तक के जवाब भी इनके दबाव मे नही दिए जा रहे। आप से निवेदन है की जब तक FIR का कोई नतीजा नहीं आ जाता तब तक इन कर्मचारियों को किसी अन्य जिले मे तैनात किया जाए ।

यह दोनों महा भ्रस्ट कर्मचारी विभाग की छवि के साथ साथ सरकार की छवि भी धूमिल करने का कार्य कर रहे हैं । मेरे द्वारा लगातार ईमेल के माध्यम से भी इन दोनों कर्मचारियों की हरकतों की सूचना भी

आपके कार्यालय एवं एंटी करप्शन विभाग को भेजी जा रही है । यह दोनों कर्मचारी पहले भी कई बार भ्रस्टाचार के आरोपों मे सस्पेन्ड हुए है और हर बार इसी कार्यालय मे बहाल हो कर आए है जो की बार बार ईमानदार लोगों को चिढाने का कार्य कर रहे है। आप से निवेदन है की कृपया इसका संज्ञान लेते हुए इन पर कार्यवाही करे।

आपकी अति कृपा होगी।

The Karamyogi C.G.H.S. Ltd

भवदीय

Authorised Signatory

विकास चोपड़ा

Mobile: 9811160519

Flat No. 209, karamyogi CGHS

|Sector 10 A

Gurugram

HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

1. **District (ज़िला):** Anti Corruption Bureau, Haryana **P.S. (थाना):** ACB, Gurugram **Year (वर्ष):** 2025

   FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0002 **Date (दिनांक):** 09/01/2025 19:46

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1 **Day (दिन):** Intervening Days	**Date from (दिनांक से):** 25/09/2024	**Date To (दिनांक तक):** 09/01/2025
Time Period (समय अवधि):	**Time From (समय से):** 00:00 hrs	**Time To (समय तक):** 00:00 hrs

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 09/01/2025 **Time (समय):** 19:20 hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 017 **Time (समय):** 09/01/2025 19:31 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. **(थाना से दूरी और दिशा):** WEST, 5 Km(s) **Beat No. (बीट सं.):**

   (b) Address **(पता):** जिला गुरुग्राम,

   (c) **In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):**

   District (State) **(जिला (राज्य)):**

Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) **Name (नाम):** Ashok Kumar

(b) **Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):**

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 01/01/1978 (d) **Nationality (राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No. (यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Occupation (व्यवसाय):**

(h) **Address (पता):**

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	part 1 sec-15, GURGAON CITY, GURUGRAM, HARYANA, INDIA

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

2	Permanent Address	part 1 sec-15, GURGAON CITY, GURUGRAM, HARYANA, INDIA

(i) **Phone number (दूरभाष सं.):** **Mobile (मोबाइल सं.):**

7. **Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):**

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)
1	निरिक्षक सन्दीप		
2	उप0 नि0 जोगेन्द्र		
3	उप0 नि0 प्रवीन		
4	सरकारी कर्मचारी व अन्य व्यक्ति		

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):**

S. No. (क्र.सं.)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Sub Type (उप प्रकार)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. **Total value of property stolen (In Rs/-) (चोरी हुई सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):**

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):**

HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

S. No. (क्र.सं.) UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा में, पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरूग्राम मण्डल, गुरुग्राम । विषय:- प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने बारे तहरीर । श्रीमान जी, थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो गुरुग्राम में एक परिवाद विकास चोपडा निवासी कर्मयोगी सोसाईटी सैक्टर-10ए, गुरूग्राम का विशलेषण मन उप पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरुग्राम द्वारा किया गया । जिसमें शिकायतकर्ता विकास चोपडा ने निरीक्षक संदीप, कार्यालय कोपरेटीव असिस्टेंट रजिट्रार गुरुग्राम, उप0नि0 जोगेन्द्र, कार्यालय कोपरेटीव असिस्टेंट रजिट्रार गुरुग्राम व उप0नि0 प्रवीन, कार्यालय कोपरेटीव असिस्टेंट रजिट्रार गुरूग्राम पर आरोप लगाया था कि शिकायतकर्ता अपने पडोसी श्री दिवान सिह के साथ उसके फलैट नम्बर 508 के मैम्बरशिप ट्रान्सफर के लिए 25 सितम्बर 2024 को कोपरेटिव असिस्टेंट रजिस्ट्रार गुरुग्राम के कार्यालय में गया था । शिकायतकर्ता ने सोसाईटी के 30 लोगो की मेम्बरशिप ट्रांसफर होने के लिए उप0नि0 जोगेन्द्र को सभी फाईले दी थी । शिकायतकर्ता से सब इंस्पेक्टर प्रवीण द्ववारा 25 हजार रूपये रिशवत के प्रति फाईल की डिमांड की गई जो विडियो रिकार्डिंग में भी आ रहा है । परन्तु दीवान सिह जी द्ववारा रिशवत देने बारे मना करने पर, उप0नि0 प्रवीन ने शिकायतकर्ता से बात करना शुरू किया और 14 अक्टूबर 2024 को कोपरेटिव असिस्टेंट रजिस्ट्रार गुरुग्राम कार्यालय में कार्यरत इंस्पेक्टर संदीप और सब इस्पेक्टर जोगिन्दर ने शिकायतकर्ता से 25 हजार रूपये प्रति फाईल रिशवत की डिमांड की तथा रिशवत के पैसे नहीं देने पर फाईल वापिस लें जाने को कहा । रिशवत के सम्बंध में हुई सभी बातो की विडियो रिकार्डिंग शिकायतकर्ता ने अपने फोन न0 9625184828 में दिनांक 14.10.2024 को दोपहर के समय की थी । दिनांक 20 अक्टूबर 2024 को निरीक्षक राजपाल शर्मा ने फाईलो में खामिया बताकर वापिस दे दी । रिशवत के सम्बंध में की गई विडियो रिकार्डिंग को शिकायतकर्ता द्वार शिकायत के साथ लगाया गया है ।

विशलेषण के दौरान शिकायत व शिकायत के साथ लगी पैन ड्राईव में डली हुई विडियो रिकार्डिंग का शिकायतकर्ता की मौजूदी में गहनता से अध्ययन किया गया । जिसमें पाया गया कि शिकायतकर्ता विकास चोपड़ा से निरीक्षक संदीप, कार्यालय कोपरेटीव असिस्टेंट रजिष्ट्रार गुरुग्राम, उप0नि0 जोगेन्द्र, कार्यालय कोपरेटीव असिस्टेंट रजिट्रार गुरुग्राम व उप0नि0 प्रवीन,

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

कार्यालय कोपरेटीव असिस्टेंट रजिष्ट्रार गुरुग्राम द्वारा उपरोक्त फाईलों को निकालने की एवज में रिशवत की मांग की गई । निरीक्षक संदीप, कार्यालय कोपरेटीव असिस्टेंट रजिट्रार गुरूग्राम, उप0नि0 जोगेन्द्र, कार्यालय कोपरेटीव असिस्टेंट रजिट्रार गुरूग्राम व उप0नि0 प्रवीन, कार्यालय कोपरेटीव असिस्टेंट रजिट्रार गुरुग्राम के विरूध धारा 07 पी0सी0 एक्ट के अन्तर्गत व अनुसंधान के दौरान किसी सरकारी कर्मचारी या अन्य व्यक्ति की संलिप्ता पाई जाती है तो उसके विरूध भी नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाने के लिए शिकायत न0 382/गुरूग्राम दिनांक 13.12.2024 की विशलेषण रिपोर्ट इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 4498/भ्र0नि0ब्यू0/ गुरुग्राम दिनांक 16.12.2024 के अनुसार श्रीमान अतिरिक्त भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पंचकुला हरियाणा भेजी गई थी । श्रीमान अतिरिक्त महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पंचकुला हरियाणा के कार्यालय के पत्र कमांक 20546/Complaint/547/GGM/2024 dated 18-12-2024 के अनुसार उपरोक्त के खिलाफ ड्राफट तहरीर तैयार करके भेजने बारे इस कार्यालय में प्राप्त हुआ । इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 5557/ACB/GGM dated 24-12-2024 के अनुसार उपरोक्त के खिलाफ ड्राफट तहरीर तैयार करके श्रीमान अतिरिक्त महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पंचकुला हरियाणा के कार्यालय में भेजी गई। श्रीमान अतिरिक्त भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पंचकुला हरियाणा के कार्यालय के पत्र 46/1-2/SVB/Panchkula dated 01-01- 2025 के अनुसार तहरीर अनुमोदन उपरान्त इस कार्यालय में प्राप्त हुई । श्रीमान पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो गुरुग्राम मण्डल गुरूग्राम द्वारा मन उप पुलिस अधीक्षक को अभियोग अंकित करने के लिए तहरीर मार्क की है । आज मैं हाजिर कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो गुरुग्राम मण्डल गुरूग्राम हूँ निरीक्षक संदीप, कार्यालय कोपरेटीव असिस्टेंट रजिष्ट्रार गुरुग्राम, उप0नि0 जोगेन्द्र, कार्यालय कोपरेटीव असिस्टेंट रजिट्रार गुरूग्राम व उप0 नि0 प्रवीन, कार्यालय कोपरेटीव असिस्टेंट रजिट्रार गुरुग्राम व सरकारी कर्मचारी या अन्य व्यक्ति के विरूद्ध धारा 07 पी0सी0 एक्ट के अन्तर्गत अभियोग दर्ज करने हेतु तहरीर EHC दिनेश न0 1144/ रेवाडी के माध्यम से थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो गुरूग्राम भेजी जा रही है । अभियोग दर्ज करके अभियोग संख्या से सूचित किया जाये । अभियोग की स्पेशल रिपोर्ट नियमानुसार स्पेशल वाहक के माध्यम से ईलाका मजिस्ट्रेट व उच्च अधिकारियो को भिजवाई जायें । अभियोग की मिशल मय असल तहरीर आगामी अनुसंधान हेतु मन उप पुलिस अधीक्षक के पास भिजवाई जाये । ASHOK (अशोक कुमार ह0पु0से) उप पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो गुरूग्राम मण्डल, गुरुग्राम । दिनांक – 09.01.2025 समय - 7.10 PM अज थाना - आमदा तहरीर पर मुकदमा हजा बा जुर्म मजकुर दर्ज रजिस्टर किया गया । FIR की प्रतिया CCTNS द्वारा तैयार की गई । जो नियमानुसार ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब व अफसरान बाला को

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

नियमानुसार भेजी जायेगी एक प्रति FIR बतौर स्पैशल रिपोर्ट ई-मेल द्वारा इलाका मजिस्ट्रेट साहब गुरुग्राम भेजी जा रही है । मुकदमा हजा की मिशल मय असल तहरीर आने वाले EHC दिनेश न0 1144/रेवाडी के हाथ आगामी अनुसंधान हेतु अशोक कुमार ह0पु0से0 उप पुलिस अधिक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्युरो गुरुग्राम मण्डल गुरुग्राम के पास भेजी जा रही है।

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.**
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): or (या)**
Rank (पद): Dy. SP (Deputy Superintendant of Police)

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** Ashok Kumar

No. (सं.): DSP **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

Directed (Mobile No. of I.O.) (जांच अधिकारी का मोबाइल नंबर): 919911866177

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)**
District (ज़िला):

(4) **Transferred to P.S. (थाना):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)